दिल्ली की अंग्रेजी टेलीफोन निर्देशिका का नया संस्करण

2946. **श्री शशि भूषण** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली की अंग्रेजी टेलीफोन निर्देशिका के नये संस्करण को, दिल्ली टेलीफोन महा-प्रबन्धक की इस घोषणा के बावजूद कि उक्त संस्करण को जुलाई, 1968 में प्रकाशित किया जायेगा, अब तक प्रकाशित नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया गया है कि उक्त संस्करण इसलिए नहीं निकाला जा सका क्योंकि पिछले संस्करण में विज्ञापनों के शुल्क की वसूली नहीं की जा सकी ;

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) विज्ञापन देने वालों पर कितनी राशि बकाया है और उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) दिल्ली टेलीफोन डायरेक्टरी का पिछला संस्करण जून और जुलाई, 1968 में वितरित किया गया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) डाक-तार बोर्ड ने महाप्रबन्धक टेलीफोन को निदेश दिया था कि डायरेक्टरी विज्ञापनों के साथ या उनके बिना भी निश्चित समय पर ही निकाली जाए, और

(घ) सितम्बर, अक्टूम्बर, 1967 में वितरित किये गये डायरेक्टरी के दूसरे संस्करण के 3,08, 350 रुपये की राशि विज्ञापन देने वालों की ओर बकाया है । पार्टी के समय पर हिसाब चुकता न करने के कारण उनसे हर्जाने की भी वसूली की जाती है । महाप्रबन्धक, टेलीफोन ने अभी तक यह राशि नहीं कूती है, क्योंकि यह अदायगी में की गई देरी पर निर्भर करती है । विलापन देने वाले ने दो लाख रुपये के चार जामिन और बकाया रकम अर्थात् 1,08, 350 रुपये की एक बैंक गारंटी दी है ।

टेलीफोन की बकाया राशि

2950. **श्री शशि भूषण** : क्या सूचना और प्रसारण तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे लोगों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या-क्या हैं जिनकी ओर टेलीफोनों की बकाया राशि 10,000 रुपये अथवा उससे अधिक है ; और

(ख) उस बकाया राशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) लेखाओं के टेलीफोनों के अनुसार और देश में विभिन्न स्थानों पर होने के कारण इस समय यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) बकाया रकम की वसूली करने के लिए टेलीफोन काटने, दोषी टेलीफोन उपभोक्ताओं के साथ पत्र-व्यवहार करने अथवा व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने और अंत में जहां आवश्यक हो कानूनी कार्रवाई करने जैसे कदम उठाये जाते हैं ।

Post Offices in Villages

2951. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleasad to state :

(a) whether a decision to have post offices in villages with a minimum population, irrespective of income, has been taken; and

(b) if so, details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI SHER SINGH) : (a) No.

(b) Does not arise.